

उनवान

1. काली बाई पत्नि अशोक कुमार मेघवाल निवासी भदेसर तहसील भदेसर

.....वादीया

!! बनाम !!

1. उदा पिता कालू रेगर वयस्क निवासी आसावरा तहसील भदेसर
2. नाराण पिता कालू रेगर वयस्क निवासी आसावरा तहसील भदेसर
3. चांदी पत्नि कालू रेगर वयस्क निवासी आसावरा तहसील भदेसर
4. सवा पिता मथरा पिता कालू रेगर वयस्क निवासी आसावरा तहसील भदेसर
5. गोपीलाल पिता मथरा रेगर वयस्क निवासी आसावरा तहसील भदेसर मृतक के बजाय
- 5/1 रूकमणी पत्नि गोपीलाल रेगर वयस्क निवासी आसावरा तहसील भदेसर
- 5/2 चेतन पिता गोपीलाल रेगर वयस्क निवासी आसावरा तहसील भदेसर
- 5/3 राजेश पिता गोपीलाल रेगर वयस्क निवासी आसावरा तहसील भदेसर
- 5/4 जितेन्द्र पिता गोपीलाल रेगर वयस्क निवासी आसावरा तहसील भदेसर
- 5/5 लक्ष्मी पुत्री गोपीलाल रेगर वयस्क निवासी आसावरा तहसील भदेसर
6. भूमिधारी जरिये तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, रा0 का0 अधि0 1955

उपस्थित- श्री रईस मोहम्मद वकील वादी

हस्तगत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीया ने एक वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, की धारा के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया -

1. यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातोदारी कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात ग्राम ग्राम आसावरा पटवार हल्का आसावरा की खाता संख्या 23 की आराजी नम्बर 1438, 1439 कुल किता 2 कुल रकबा 0.6500 हैक्टैयर भूमि में वादीया अपने कब्जे माफिक काबिज होकर काश्त कर रही हैं। मगर खाता शामिल होने से व बंटवाडा नहीं होने से फसल बोन से लेकर अवेरने तक विवाद होता रहता है। अतः माफिक हिस्सा बंटवारा कराया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। बाद कार्यवाही दिनांक 30-05-2018 को प्राथमिक स्तर पर डिक्री किया गया तथा वाद वर्णित मौजा आसावरा की विवादित आराजीयात का विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार भदेसर को कमीशनर नियुक्त किया गया। आदेश की पालना में तहसीलदार भदेसर द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया जिसका अवलोकन किया गया जो माफिक आदेश होकर इसी अनुसार अन्तिम रूप से डिक्री किये जाने में कतई आपत्ति नहीं होने से हसब फर्द बंटवारा वाद वादी निम्न अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा वाद वर्णित मौजा आसावरा की आराजीयात का पक्षकारान के






मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है तथा अलग अलग खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है ।

क.स.	नाम खातेदार	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
1	कालीबाई पत्नि अशोक कुमार मेघवाल सा.देह के हिस्से में रहेगी	1439 मी.	0.32	4.16
	योग	किता-1	0.32	4.16
2	उदा नाराण पि० कालू मु० चान्दी पत्नि स्व. कालू 1/3 सवा पि० मथरा 1/3 चेतन राजेश जितेन्द्र लक्ष्मी मन्जू हेमलता पि० गोपीलाल मु० रूकमणी पत्नि स्व. गोपीलाल 1/3 रेगर सा०देह के हिस्से में रहेगी	1439 / 1	0.32	4.16
	योग	किता-1	0.32	4.16
3	उदा नाराण पि० कालू मु. चान्दी पत्नि स्व. कालू 1/6 सवा पिता मथरा 1/6 चेतन राजेश जितेन्द्र लक्ष्मी मन्जू हेमलता पि० गोपीलाल मु० रूकमणी पत्नि स्व. गोपीलाल 1/6 रेगर कालीबाई पत्नि अशोक कुमार 1/2 मेघवाल सा. देह के हिस्से में रहेगी	1438	0.01	आ.चा
	योग	किता-1	0.01	-

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे । इसी आशय का पर्चा डिक्री अलग से मुर्तिब किया जावे । निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।


 (मांगीलाल रेगर)
 उपखण्ड अधिकारी
 भदोसर

मूल वाद में डिक्री
(व्य०प्र०सं० के आदेश 20 के नियम 6 व 7)
न्यायालय-उपखण्ड अधिकारी, मुकाम-भदेसर जिला चित्तौडगढ़ (राज०)
बईजलास - श्री मांगीलाल रेगर, आर०ए०एस०,
उनवान

1. काली बाई पत्नि अशोक कुमार मेघवाल निवासी भदेसर तहसील भदेसर

.....वादीया

॥ बनाम ॥

1. उदा पिता कालू रेगर वयस्क निवासी आसावरा तहसील भदेसर
2. नाराण पिता कालू रेगर वयस्क निवासी आसावरा तहसील भदेसर
3. चांदी पत्नि कालू रेगर वयस्क निवासी आसावरा तहसील भदेसर
4. सवा पिता मथरा पिता कालू रेगर वयस्क निवासी आसावरा तहसील भदेसर
5. गोपीलाल पिता मथरा रेगर वयस्क निवासी आसावरा तहसील भदेसर मृतक के बजाय
 - 5/1 रूकमणी पत्नि गोपीलाल रेगर वयस्क निवासी आसावरा तहसील भदेसर
 - 5/2 चेतन पिता गोपीलाल रेगर वयस्क निवासी आसावरा तहसील भदेसर
 - 5/3 राजेश पिता गोपीलाल रेगर वयस्क निवासी आसावरा तहसील भदेसर
 - 5/4 जितेन्द्र पिता गोपीलाल रेगर वयस्क निवासी आसावरा तहसील भदेसर
 - 5/5 लक्ष्मी पुत्री गोपीलाल रेगर वयस्क निवासी आसावरा तहसील भदेसर
6. भूमिधारी जरिये तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौडगढ़

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, रा० का० अधि० 1955
प्रकरण सं०. 171/2017 ई०रे०

वादी की ओर से वकील श्री रईस मोहम्मद एवं प्रतिवादी की ओर से वकील - की उपस्थिति में इस वाद को आज दिनांक 16-01-2019 को न्यायालय के समक्ष निपटारे के लिये पेश होने पर हस्ब फर्द बंटवारा वाद वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना है कि मौजा आसावरा की वाद वर्णित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है तथा अलग अलग खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है ।

क्र.स.	नाम खातेदार	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
1	कालीबाई पत्नि अशोक कुमार मेघवाल सा.देह के हिस्से में रहेगी	1439 मी.	0.32	4.16
	योग	किता-1	0.32	4.16
2	उदा नाराण पि० कालू मु० चान्दी पत्नि स्व. कालू 1/3 सवा पि० मथरा 1/3 चेतन राजेश जितेन्द्र लक्ष्मी मन्जू हेमलता पि० गोपीलाल मु० रूकमणी पत्नि स्व. गोपीलाल 1/3 रेगर सा०देह के हिस्से में रहेगी	1439 / 1	0.32	4.16
	योग	किता-1	0.32	4.16
3	उदा नाराण पि० कालू मु. चान्दी पत्नि स्व. कालू 1/6 सवा पिता मथरा 1/6 चेतन राजेश जितेन्द्र लक्ष्मी मन्जू हेमलता पि० गोपीलाल मु० रूकमणी पत्नि स्व. गोपीलाल 1/6 रेगर कालीबाई पत्नि अशोक कुमार 1/2 मेघवाल सा. देह के हिस्से में रहेगी	1438	0.01	आ.चा
	योग	किता-1	0.01	-

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे । यह आज दिनांक 16-01-2019 को डिक्री पर्चा मुर्ति किया गया ।

(मांगीलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर